

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(डॉ. सूरज सिंह नेगी, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक:-

04 / 2022
24.06.2022

लादूराम पुत्र देवाराम जाति माली निवासी बावडी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-रामा पत्नि घनश्याम जाति माली निवासी वार्ड नं. 19 ढाणी फूट्या देवरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.
- 2-कंचन पत्नि भोलूराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 19 ढाणी फूट्या देवरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.
- 3-ग्राम पंचायत बावडी, पंचायत समिति टोडारायसिंह जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बावडी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

..... प्रतिपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा सं. 48 बुक नं. 89 दिनांक 20.10.2014 ग्राम बावडी पंचायत समिति बावडी तहसील टोडारायसिंह

उपस्थित-

1. श्री शिवजीराम चौधरी एडवोकेट, अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री कैलाश अहलुवालिया, अभिभाषक विपक्षी सं. 1 व 2।

निर्णय

दिनांक 06.11.2023

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार है कि प्रतिपक्षी सं. 3 ने दिनांक 20.10.2014 को प्रतिपक्षी नं. 1 व 2 के पक्ष में ग्राम बावडी, तहसील टोडारायसिंह की आबादी भूमि में कुल 106 वर्ग गज का भूखण्ड का आवासीय पट्टा संख्या 48 प्रस्ताव संख्या-7 दिनांक 20.10.2014 के आधार पर जारी किया है जिसे विधिविरुद्ध बताते हुए उक्त पट्टे को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी ने यह निगरानी पेश की है।

निगरानी मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। तलबी जरिये नोटिस विपक्षीगण की गई तथा ग्राम पंचायत बावडी की पट्टे से संबंधित पत्रावली तलब की गयी। विपक्षी सं. 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी व विपक्षीगण के अभिभाषकों की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिस भूखण्ड का पट्टा दिया गया है, वह भूखण्ड प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व का है। अप्रार्थी संख्या

101



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

1 व 2. प्रार्थी की लड़कियां हैं जो ग्राम बावडी में निवास नहीं करती हैं, अपने ससुराल दूरिया देवरा में रहती हैं। कभी कभी मिलने के लिए व त्यौहारों पर प्रार्थी के पास आ जाती हैं। प्रार्थी वृद्ध है। जिस समय पंचायत से प्रतिपक्षी नं०-1 व 2 ने अपने हक में पट्टा बनवाया तब वो हाल चाल पूछने के लिए आती जाती थी। प्रार्थी पढा लिखा नहीं है, इसका नाजायज फायदा उठाकर ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके प्रार्थी की बिना जानकारी के प्रार्थी की भूमि का उक्त पट्टा बनवाया गया है जो प्रथम दृष्टया ही गलत है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को सुनवायी के लिए कोई नोटिस नहीं दिया है। इसी प्रकार सार्वजनिक उद्घोषणा भी चस्पा नहीं की गयी है तथा नियमानुसार आपत्तियां भी आमंत्रित नहीं की है। वास्तविक कब्जे की जांच भी नहीं की गयी है। एकतरफा में जारी प्रस्ताव तथा तैयार करायी गयी मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रतिपक्षी नं 1 व 2 का कब्जा मानकर गैर कानूनी तरीके से प्रतिपक्षी नं. 1 व 2 के नाम पट्टा जारी किया है जो पंचायत नियम 145 से 157 के प्रावधानों के विपरित है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.09.2020 को प्रस्ताव संख्या-8 के द्वारा उक्त पट्टे का नवीनीकरण भी करा लिया है, वह भी गलत हैं क्योंकि मूल पट्टा ही गलत है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 उक्त गलत पट्टे के आधार पर प्रार्थी को परेशान करने लग गये हैं तथा भूमि को बेचान करने को उतारू हैं। इस पर प्रार्थी ने जानकारी की तो उसे उक्त पट्टे की जानकारी हुई। पंचायत से कई बार नकले मांगी परन्तु नकलें नहीं दीं। प्रार्थी को इस बाबत पहले जानकारी नहीं थी प्रथम बार दिनांक 15.05.0022 को जानकारी मिली जिसके लिए अलग से दफा-5 का आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर प्रतिपक्षी नं०-3 द्वारा प्रतिपक्षी नं० 1 व 2 के हक में ग्राम बावडी तहसील टोडारायसिंह की आबादी भूमि में जो उक्त पट्टा जारी किया है, उसे निरस्त फरमाया जाये।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के जवाब में विपक्षीगण के अभिभाषक ने प्रारम्भिक आपत्तियां पेश करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बावडी तह० टोडारायसिंह ने विधिवत् रूप से बाद जांच विपक्षी संख्या 1 व 2 के हक में पट्टा जारी किया है, जिसके विरुद्ध बिना किसी आधार पर 8 साल बाद निगरानी पेश करने का कोई अधिकार निगरानीकर्ता को प्राप्त नहीं है इसलिए भी निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षीगण 1 व 2 अपने ससुराल में रहती हैं, लेकिन वे अपने पीहर आती जाती रहती हैं। जिस भू-भाग का पट्टा उनके हक में ग्राम पंचायत बावडी द्वारा जारी किया गया है, वह भू-भाग उन्हें अपने पिता निगरानीकर्ता से ही प्राप्त हुआ है। विपक्षी संख्या 1 व 2 अपने ससुराल निवास करती हैं तथा यदा कदा अपनी उक्त सम्पत्ति को संभालने व अपने वृद्ध पिता को संभालने आती रहती हैं। इस प्रकार निगरानीकर्ता का यह कथन कि विपक्षी संख्या 1 व 2 ग्राम बावडी में आती ही नहीं हैं, कतई गलत है और इस प्रकार यह भी गलत है कि उनका उक्त मकान पर कब्जा न हो, बल्कि विपक्षी संख्या 1 व 2 का ही वास्तविक कब्जा एवं स्वामित्व उक्त मकान पर चला आ रहा है तथा उन्होंने ही अपने पिता निगरानीकर्ता को उक्त मकान का कब्जा अपने रिहायश के लिए एवं देखभाल के लिए इजाजती दे रखा है। पट्टा दिनांक 20.10.2014 को जारी किया गया है वह बिल्कुल सही आधारों पर नियमानुसार जारी किया गया है तथा उसका पंजीकरण भी विधिवत् रूप से प्रस्ताव लेकर पट्टा जारी होने के लगभग 6 साल बाद जारी किया गया है जिसकी जानकारी सभी को है, इसमें किसी नियम की कोई अवहेलना नहीं की गई है तथा



पट्टा स्वयं निगरानीकर्ता द्वारा अंकित कराए शपथपत्र (सहमति पत्र) तस्दीक द्वारा नोटेरी पब्लिक प्रस्तुत करने के बाद ही जारी किया गया है जो कि विधि अनुसार सही है। उक्त निगरानी मियांद बाहर, कानून के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। एतद् अनुसार आपत्ति निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अभिभाषक ने प्रारम्भिक आपत्तियों के साथ लिखित बहस भी पेश की जिसमें अंकित किया कि यह निगरानी प्रस्तुत करने का निगरानीकर्ता को कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह सही है कि विपक्षीगण सं०-1 व 2 अपने ससुराल रहती है तथा अपने पीहर अपने पिता के पास आती-जाती रहती है एवं यह भी सही है कि उक्त भू-भाग जिसका पट्टा उनके हक में ग्राम पंचायत बावडी तहसील टोडारायसिंह द्वारा जारी किया गया है, वह भू-भाग उन्हें अपने पिता निगरानीकर्ता से ही प्राप्त हुआ है तथा उन्हें उसका कब्जा व स्वामित्व भी उनके पिता निगरानीकर्ता ने ही प्रदान किया है। चूंकि विपक्षीगण सं०-1 व 2 अपनी शादियों के बाद अपने ससुराल निवास कर रही है, इसलिए उक्त भूखण्ड को संभालने व उसकी देखभाल करने के लिए अपने वृद्ध पिता को ही संभला रखा है तथा वे कभी कभार अपने पीहर जब भी अपने पिता के पास आती है, उक्त पट्टाशुदा सम्पत्ति को संभालती है एवं निगरानीकर्ता जो कि विपक्षीगण के पिता है, वे विपक्षीगण की सहमति से उसी भूखण्ड पर बने मकान में ही निवास करते हैं। विपक्षी सं०-3 ने विधि अनुसार पूर्ण जांच कर उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 20.10.2014 को विपक्षीगण सं०-1 व 2 के हक में जारी किया है, जिसका बाद में दिनांक 30.09.2020 को विधिवत रूप से उप पंजीयक बरवास तहसील टोडारायसिंह के यहां पंजीयन कराया गया है। इस बाबत पूर्व में उक्त जांच निगरानीकर्ता ने विपक्षीगण के हक में पट्टा जारी करने की सहमति बाबत शपथपत्र (सहमति पत्र) भी नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराकर प्रस्तुत किया हुआ है। निगरानीकर्ता ने पट्टा दिनांक 20.10.2014 (पंजीकृत दिनांक 30.09.2020) की जानकारी प्रथम बार दिनांक 15.05.2022 को होने बाबत कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह माना जावे कि यह निगरानी अंदर मियाद पेश की गई है अर्थात् निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से मियाद बाहर पेश की गई है, जो मियाद अधिनियम से बाधित है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनन पंजीकृत पट्टे को केवल सिविल न्यायालय में ही निरस्त कराने की कार्यवाही की जा सकती है। उसे माननीय जिला कलेक्टर/अति. जिला कलेक्टर अथवा अन्य किसी प्रशासनिक न्यायालय से निरस्त नहीं कराया जा सकता। जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण गोपाल पटेल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य प्रकाशति डी.एन.जे. 2021 (1) पेज 186 में मामले को निस्तारित करते हुए पेरा सं. 16 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि रजिस्टर्ड पट्टे पर कोई भी प्रश्न केवल सिविल कोर्ट में वाद या कार्यवाही पेश कर ही उठाई जा सकती है तथा साथ ही किसी दृष्टांत में प्रकरण रामचन्द्र बनाम जिला कलेक्टर हनुमानगढ एवं अन्य डब्ल्यू. एल.सी. 2016 (3) राजस्थान पेज 627 को दृष्टिगत रखते हुए माना है कि किसी के हक में रजिस्टर्ड पट्टा यदि प्रदान किया जाता है तो उसे जिला कलेक्टर या अन्य कोई रिवीजनर अथवा नोटेरी कलेक्टर निरस्त करने का अधिकार नहीं है। अतः यह निगरानी कानून के खिलाफ गलत



बहिरपत्र जिला कलेक्टर
टॉक

तथ्यों पर गलत न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है एवं मय हर्जा व खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन हैं कि प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जावें।

विपक्षीगण की लिखित बहस के जवाबुल जवाब में प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसमें अंकित किया कि गलत रूप से प्रतिपक्षी सं० 1 व 2 का कब्जा मानकर गैर कानूनी तरीके से उनके हक में पट्टा जारी कर दिया, जो पंचायत नियम 145 से 157 के प्रावधानों के विपरीत है। विवादग्रस्त पट्टे की भूमि पर ग्राम बावड़ी में प्रार्थी निगरानीकर्ता का ही वास्तविक रूप से कब्जा चला आ रहा है। आज भी उसी का कब्जा है। प्रतिपक्षी सं० 1 व 2 अपने ससुराल फूट्या देवरा, टोडारायसिंह में रह रही है, उनके पास वहां मकान है, प्रतिपक्षी सं० 1 व 2 प्रार्थी निगरानीकर्ता की न तो सार सम्भाल करती है और न ही सेवा सुश्रुषा करती है, वह अति वृद्ध है। विपक्षी सं० 3 ग्राम पंचायत ने बिना विधिवत जांच किये और बिना अवसर दिये राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 प्रारूप 23-क (नियम 157 (1)) के तहत तथाकथित पट्टा सं० 48 दिनांक 20.10.2014 दिया गया है, वह सरासर ही नियम कानून के विपरीत जाकर दिया गया है, न तो विधि विरुद्ध रूप से कब्जे की ही जांच की गई एवं न ही मौके का विधिवत अवलोकन किया गया। सारी कार्यवाही कायदे कानून के विपरीत अमल में लाई जाकर यह पट्टा जारी कर दिया गया है, जिसका बाद में दिनांक 30.09.2020 को उप पंजीयक बरवास तहसील टोडारायसिंह के यहां जो पंजीयन कराया गया है, वह भी स्वतः ही निरस्तनीय है। विवादित पट्टा ही अवैधानिक रूप से नियम, प्रक्रिया को दरकिनार कर जारी किया गया है, तो ऐसी स्थिति में मात्र उसे रजिस्टर्ड करा लिये जाने से प्रतिपक्षी सं० 1 व 2 को कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं एवं ऐसे फर्जकारी कर बनाये गये पट्टे बावत् कानूनन मियाद की भी बाधा नहीं है। तथाकथित पट्टा जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, उसके रजिस्टर्ड हो जाने की वजह से न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार खत्म नहीं हो जाता है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का दृष्टांत प्रकरण गोपाल पटेल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य प्रकाशित डी.एन.जे. 2021 (1) पेज 186 नगरपालिका अधिनियम के तहत नगरपालिका द्वारा जारी किये गये पट्टों से संबंधित हैं। तथाकथित पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, इसलिए ग्राम पंचायत से सम्बंधित पट्टों पर आधारित माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निम्न न्यायिक दृष्टांत लागू होते हैं—

- 1- राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर उनवानी घेवर चन्द व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य दिनांक 11.08.2017
- 2- राजस्थान हाईकोर्ट 2015 (2) डीएनजे (राज.) 595 उनवानी राजू चीता बनाम जिला कलेक्टर भीलवाड़ा व अन्य दिनांक 04.03. 2015
- 3- राजस्थान हाईकोर्ट 2016 (4) डीएनजे (राज०) 1799 उनवानी शान्ती देवी विश्नोई बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा जिला कलेक्टर बाडमेर दिनांक 25.11.2016



अतः जवाब लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकर्ता की निगरानी सूचीकार फरमाया जाकर निगरानी अधीन पट्टा दिनांक 20.10.2014 ग्राम पंचायत बावडी तहसील टोडारायसिंह निरस्त फरमाया जावे ।

हमने अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निम्न दृष्टांत का भी अवलोकन किया—

1- राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने प्रकरण एस.बी. सिविल रीट पिटीशन सं. 8887/2017 घेवर चन्द व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य दिनांक 11.08.2017 को पारित आदेश में उल्लेख किया है कि
"Registration of a patta is only a consequential event and when the pattas are found to have been issued contrary to the obtaining rules, the mere registration thereof cannot be treated as a safe harbour. The cancellation of said patta by the competent authority will also thus entail would follow consequences in law rendering the registration thereof ineffective and inconsequential In view of the above discussions, I do not find any illegality in the impugned order passed by the District Collector, Barmer. Hence, there is no force in this writ petition and the same is hereby dismissed in limine.

2— राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2015(2) डी.एन.जे. राज. पैरा नं. 595 एस.बी. सिविल रीट पिटीशन सं. 9054/2014 उनवानी राजू चीता बनाम जिला कलेक्टर भीलवाड़ा व अन्य निर्णय दि. 04.03.2015 में पारित आदेश में उल्लेख किया है कि

ग्राम पंचायत ने आपसी बातचीत से भूमि का पट्टा जारी किया, याची द्वारा लगाए गए प्रार्थना पत्र में कुछ भी उल्लेख नहीं किया कि याची कब से भूमि के कब्जे में है, भूमि पर पट्टा प्राप्तकर्ता के दीर्घ आधिपत्य साबित करने हेतु सामग्री पेश नहीं की है, नोटिस जारी नहीं किए गए हैं और आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं— ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा पट्टा निरस्त किया गया। आलोच्य पट्टा निरस्तीकरण के आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

11. The proceedings alleged to have been taken by the Gram Panchayat placed on record, reveal that no such exercise was at all undertaken by the Gram Panchayat while issuing the patta of the Abadi land in question in favour of the petitioner. As noticed by the Revisional Authority, the application submitted by the petitioner does not disclose as to since when he was in possession of the land. Besides, the specifications of the land alleged to be in possession of the petitioner herein were also not set out in the application made as aforesaid. All that has been mentioned by the petitioner in the said application is that he intends to get patta of the bara in his possession. The total area of the plot in respect whereof, issuance of the patta was prayed for, was not mentioned in the application filed. The period for which the petitioner is alleged to be in possession of the plot was not disclosed in the application filed and it has not come on record even otherwise during the proceedings taken by the Gram Panchayat. Thus, in absence of any material on record about the long possession of the petitioner over the lands in question so as to give rise to plausible claim of title, the decision taken by the Panchayat to straight away issue patta in favour of the petitioner presuming the plausible claim of title of the petitioner, is ex facie contrary to the provisions of the relevant Rules. It is also relevant to mention here that merely because, a notice was issued and no objections were received, it cannot lead to a conclusion that the petitioner's old possession over the land in dispute stand established. It is the duty of the Panchayat to come to the definite conclusion on the basis of the material on record that the applicants



claiming the sale of the Abadi land by private negotiation have plausible claim of title to the land. That part, a perusal of the proceedings placed on record reveals that nowhere the Panchayat has recorded its satisfaction that the auction may not fetch reasonable price.

राजस्थान उच्च न्यायालय 2016 (4) डी.एन.जे. (राज.) पैरा सं. 1799 एस.बी. सिविल रीट पीटीशन 8148, 8143, 8144, 8146-8147, 8149-8151 / 2012 निर्णय दि. 25.11.2016 के दृष्टांत में उल्लेखित है कि

"A perusal of the above rule shows that only a person who is in possession of an old house for more than 50 years or in the last 50 years was eligible after depositing the relevant charges fixed for the same.

10. At this stage, learned Counsel for the petitioners submitted that the sale deed cannot be cancelled except through a civil suit. The District Collector has no right to cancel the same. The said argument does not help the petitioner in the facts of the present case. There is no registered Patta and nor any sale deed has been registered in any of the above cases except in CWP No. 8147/2012. No doubt, a registered sale deed cannot be set aside in revisional jurisdiction and that the civil suit is the proper remedy. However, same is not a bar in case the very Patta is unlawfully issued as held by this Court in the case of Nagar Mal Vs. Addl. District Collector, Sikar & Ors. reported in 2013(1) WLC (Raj) 768. Para 6 of the said judgment reads as under-

"As far as the argument of the Counsel for the petitioners with regard to the issue of the pattas being registered and therefore being beyond the scope of correction by resort to revising power is concerned, I am of the view that the revising power under Section 97 of the Act of 1994 cannot be made redundant by the mere registration of pattas unlawfully issued in the first instance SBCWP NO.11006/12 -7 to the petitioners as they appear to have been in the present case. **Registration of the pattas is only a consequential event and when the pattas are found to have been unlawfully issued contrary to the obtaining rules and even by resort to fraud, the mere registration thereof cannot be treated as a safe harbour. It is trite that fraud vitiates and unravels everything built on it. The cancellation of pattas by the Additional Collector will also thus entail its inexorable consequences in law rendering the registration thereof ineffective and inconsequential.**

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब, लिखित बहस तथा ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली व न्यायालय हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 20-10-2014 को ग्राम बावडी तहसील टोडारायसिंह की आबादी भूमि में कुल 106 वर्ग गज का भूखण्ड का आवासीय पट्टा संख्या 48 प्रस्ताव संख्या-7 जारी किया है। उक्त पट्टे को नियम विरुद्ध बताते हुए निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत बावडी पंचायत समिति टोडारायसिंह की पट्टे से संबंधित पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 15.05.2014 को सरपंच को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मात्र एक अप्रार्थी रामा सैनी पुत्री लादूलाल के हस्ताक्षर है, उसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा ग्राम सेवक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रामा देवी के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा दो अलग-अलग तरीकों से हस्ताक्षर करना संदेहास्पद प्रतीत होते हैं। एक ही आवेदक के प्रार्थना पत्र के आधार पर दोनों प्रतिपक्षीगणों रामा व कंचन को पट्टा जारी कर दिया गया है।



जबकि अप्रार्थी सं. 2 कंचन पत्नि भोलूराम द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि पत्रावली से स्पष्ट है। सरपंच ग्राम पंचायत बावडी द्वारा पट्टा देने की कार्यवाही विवरण में बिना आवेदन पत्र के ही रामा के साथ कंचन का नाम भी अंकित कर दिया गया है। पत्रावली में संलग्न नक्शा फार्म (नियम 257) पर रामा देवी व कंचन देवी दोनों में से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है, केवल पुष्टिकर्ता (गवाह) के ही हस्ताक्षर हैं। कार्यालय ग्राम पंचायत बावडी के निर्णय पंचायत बैठक प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 20.10.2014 में सिर्फ एक ही स्थान पर रामा देवी के साथ कंचन का नाम भी जोड़ा गया है, अन्य किसी भी स्थान पर कंचन का नाम नहीं है। इससे पट्टा देने की कार्यवाही फर्जकारी प्रतीत होती है। इसी प्रकार पत्रावली में संलग्न शपथ पत्र भी मात्र विपक्षी सं. 1 रामा का ही है, कंचन के नाम से कोई शपथ पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। पट्टा प्राप्तकर्ता विपक्षी सं. 1 व 2 रामा व कंचन ग्राम पंचायत बावडी की निवासी हैं, ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है। विपक्षीगण द्वारा अपने आवेदन पत्र में भी स्वयं का पता फूट्यादेवरा तह. टोडारायिंह होना अंकित किया है। विपक्षीगण द्वारा अपने आवेदन में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उनका उक्त भूखण्ड पर कब से कब्जा था और न ही ग्राम पंचायत की पत्रावली में पट्टा प्राप्तकर्ता के कब्जे संबंधी कोई दस्तावेज संलग्न है। नियमानुसार पट्टा प्राप्तकर्ता का संबंधित भूमि पर 50 वर्ष या इससे अधिक समय का कब्जा होना चाहिए था। विपक्षीगण का भूखण्ड पर कब्जा सिद्ध नहीं है। पट्टा जारी करने से पूर्व कोई सार्वजनिक उद्घोषणा चस्पा नहीं की गयी तथा नियमानुसार आपत्तियां भी आमंत्रित नहीं की गई है अर्थात् पट्टा जारी करने में विधिवत कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी स्वीकार की जाकर दिनांक 20.10.2014 को प्रतिपक्षी नं 1 व 2 के पक्ष में जारी किया गया ग्राम बावडी तहसील टोडारायसिंह की आबादी भूमि में कुल 106 वर्ग गज का भूखण्ड का आवासीय पट्टा संख्या 48 प्रस्ताव संख्या -7 निरस्त किया जाकर प्रकरण को इस आदेश से रिमाण्ड (Remand)/ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही करें। प्रार्थना पत्र स्थगित खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।



(डॉ. सुरज सिंह नेगी)
 (बावडी विभा. 608)
 अति.जिल्हा कलेक्टर,
 टोंक